तत्काल

संख्या-58/2015/858/78-2-2015-35आई0टी0/2008

प्रेषक,

महेन्द्र प्रसाद भारती,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
(पृष्ठ भाग पर अंकित विभागों को)
उत्तर प्रदेश शासन।

आई.टी. एवं इले. अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 10 जून, 2015

विषय: शासकीय विभागों में ई-प्रोक्योरमेन्ट/ई-टेण्डरिंग व्यवस्था लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 मंत्रि परिषद के प्रस्तावित टिप्पणी के संबंध में शासन के पत्र संख्या-1059/78-2-2013-35आई.टी./2008 दिनांक 05.08.2013, पत्र संख्या-27/78-2-2014-35आई.टी./2008 दिनांक 08.01.2014, पत्र संख्या-408(1)/78-2-2014-35आई.टी./2008 दिनांक 05.04.2014, पत्र संख्या-1006/78-2-2014-35आई.टी./2008 दिनांक 19.09.2014 एवं पत्र संख्या-1333/78-2-2014-35आई.टी./2008 दिनांक 08.12.2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण पर अपने विभाग का अभिमत तत्काल शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रकरण में मा0 मंत्रि परिषद के समक्ष शीघ्र प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रदेश के समस्त विभाग में ई-प्रोक्योरमेन्ट/ई-टेण्डरिंग व्यवस्था लागू किये जाने हेतु प्रस्तावित मा0 मंत्रि परिषद की टिप्पणी पर निम्न विभागों से अभिमत प्राप्त न होने वाले विभागों की सूची निम्नवत् है:-

| क्रमांक | विभाग का नाम |
|---|---|
| 1 | अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास |
| 2 | उच्च शिक्षा |
| 3 | ऊर्जा |
| 4 | खेल-कूद |
| 5 | ग्रामीण अभियंत्रण सेवा |
| 6 | दुग्ध विकास विभाग |
| 7 | नगर विकास |
| 8 | पंचायती राज |
| 9 | राज्य सम्पत्ति |
| 10 | राजस्व |
| 11 | युवा कल्याण |
| 12 | बेसिक शिक्षा |
| 13 | परती भूमि विकास |
| 14 | पर्यटन |
| 15 | सिंचाई (यांत्रिक) |
| 16 | समाज कल्याण |
| 17 | सार्वजनिक उद्यम |

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।